संख्या- 1339/2025/1311/22-2-2025-17(1690)/2022

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 नवम्बर, 2025

विषय:- जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अर्जुन तिवारी पुत्र श्री जैराम तिवारी, निवासी जनपद-गोण्डा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-25779/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025), दिनांक-25.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अर्जुन तिवारी पुत्र श्री जैराम तिवारी, ग्राम-भीखमपुर, थाना-वजीरगंज, जनपद-गोण्डा का निवासी है। पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 10.03.1996 को बन्दी द्वारा अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व बांका से मारकर रमाकान्त नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-382/1996 में धारा-302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी-तृतीय, गोण्डा के आदेश दिनांक 28.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.11.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 07 माह, 25 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल० जे0 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने तथा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 22.11.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 07 माह, 25 दिन की सजा भोगे जाने, जेल आचरण संतोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस आधार एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित नहीं किया गया है। पुनः परीक्षण द्वारा प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अर्जुन तिवारी पुत्र श्री जैराम तिवारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी।

5- किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में श्री राज्यपाल महोदया द्वारा सम्यक विचारोपरांत जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अर्जुन तिवारी (बन्दी संख्या-635/2010) पुत्र श्री जैराम तिवारी, निवासी जनपद-गोण्डा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1339/2025/1311(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
4- अधीक्षक, जिला कारागार गोण्डा।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1339/2025/1311/22-2-2025-17(1690)/2022

दिनांक: 11 नवम्बर, 2025 का संलग्नक

जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अर्जुन तिवारी पुत्र श्री जैराम तिवारी, ग्राम-भीखमपुर, थाना-वजीरगंज, जनपद-गोण्डा का निवासी है। पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 10.03.1996 को बन्दी द्वारा अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व बांका से मारकर रमाकान्त नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-382/1996 में धारा-302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी-तृतीय, गोण्डा के आदेश दिनांक 28.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.11.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 07 माह, 25 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल० जे0 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने तथा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 22.11.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 07 माह, 25 दिन की सजा भोगे जाने, जेल आचरण संतोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस आधार एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित नहीं किया गया है। पुनः परीक्षण द्वारा प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अर्जुन तिवारी पुत्र श्री जैराम तिवारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी।

किन्तु सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।